

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-19.01.15

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता 1952 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 बनाते हैं :-

बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (i) यह बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में संशोधन-उक्त संहिता, 1952 के नियम 220 के उपनियम(ख) में प्रयुक्त अंक "135" अंक "180" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के बाद निम्नलिखित नया नियम 220क का अन्तःस्थापन - उक्त संहिता, 1952 के नियम 220 के बाद निम्नलिखित नया नियम 220A अन्तःस्थापित किया जायेगा :-

"220A - शिशु देखभाल छुट्टी। - (1) अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को, उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए, दो वर्ष (यानी 730 दिन) की शिशु-देखभाल-छुट्टी छुट्टी स्वीकृत करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी की जा सकेगी।

(2) शिशु-देखभाल-छुट्टी अर्जित छुट्टी के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार से मंजूर की जायेगी।

(3) शिशु-देखभाल-छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा।

(4) शिशु-देखभाल-छुट्टी 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं की जायेगी।

(5) इस छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित छुट्टियाँ भी शिशु-देखभाल-छुट्टी में शामिल की जाएंगी।

(6) शिशु-देखभाल-छुट्टी साधारणतया परीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी, सिवाय कतिपय अत्यंत कठित परिस्थितियों की दशा में, जहाँ छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी का परीक्षार्थी की शिशु देखभाल छुट्टी की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से समाधान हो जाय। इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा के दौरान इस छुट्टी की अवधि न्यूनतम हो।

(7) शिशु-देखभाल-छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं मंजूर नहीं की जाएगी।

(8) शिशु-देखभाल-छुट्टी के साथ कोई भी अन्य देय छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, किंतु शिशु-देखभाल-छुट्टी के क्रम में मांगी गई कोई अन्य छुट्टी सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो, अनुरोध पर मंजूर की जा सकेगी।

(9) शिशु-देखभाल-छुट्टी 18 वर्ष से कम आयु के केवल दो जीवित सबसे बड़े संतानों के लिए अनुमान्य होगी।

(10) इस छुट्टी के दौरान महिला कर्मचारी को वही छुट्टी वेतन प्राप्त होगा जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त कर रही हो।

(11) संबंधित महिला कर्मचारी के छुट्टी लेखे में उपार्जित छुट्टी देय होते हुए भी शिशु देखभाल छुट्टी मंजूर की जा सकेगी।

(12) शिशु-देखभाल-छुट्टी छुट्टी-लेखे में विकलित नहीं की जायेगी।

(13) शिशु-देखभाल-छुट्टी के लिए छुट्टी लेखा, संलग्न विहित प्रपत्र में संधारित किया जाएगा और इसे संबंधित महिला सरकारी कर्मी की सेवा पुस्त के साथ रखा जायेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(एच. आर. श्रीनिवास)

सचिव(संसाधन), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक- 19.01.15

सं०:-3/एफ-01-41/2014-640...../वि0

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एच. आर. श्रीनिवास)

सचिव(संसाधन), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक- 19.01.15

सं०:-3/एफ-01-41/2014-640...../वि0

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच. आर. श्रीनिवास)

सचिव(संसाधन), वित्त विभाग।

शिशु देखभाल छुट्टी लेखा संधारण हेतु प्रपत्र

[illegible]